उत्तर प्रदेश
अद्भुत विरासत · अनूठे अनुभव

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन पर्यटन भवन
सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
फोन नं0. 0522–2308017, फैक्स नं0–0522–2308937,2307074

सूचना

निगम की मार्गीय सुविधा वाली कतिपय इकाईयों यथा–राही पर्यटक आवास गृह, तातयागंज, रनियां, दोहरीघाट, गढ़मुक्तेश्वर एवं गोपीगंज के वाह्य भाग स्थित लॉन/रिक्त स्थान के 8000 वर्गफिट क्षेत्रफल में आधुनिक ढांबा का संचालन लीजरेन्ट के आधार पर करने हेतु व्यक्ति/संस्था से निकट भविष्य में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाए आमंत्रित की जानी है। टेण्डर डाक्यूमेन्ट की नियम एवं शर्ते तथा टेक्निकल बिड निम्नवत् हैः–

1. निविदादाता को रेस्टोरेन्ट/इवेन्ट मैनेजमेन्ट/टेण्टेज/लॉन संचालित करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा।

2. निविदा के साथ निविदादाता को पिछले दो वर्ष की बैलेन्सशीट/सी0ए0 प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। प्रत्येक वर्ष रू0–08.00 लाख का टर्न ओवर अनिवार्य है। लॉन में ढाबा संचालन/रेस्टोरेन्ट/इवेन्ट मैनेजमेन्ट/टेण्टेज के अनुभव से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायाप्रतियां, आयकर विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/पैन नम्बर की छायाप्रति, जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा धरोहर की धनराशि रू0–2.00 लाख (रूपया दो लाख मात्र) का एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफट जो यू.पी.एस.टी.डी.सी.लि0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, की छाया प्रति ई0–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि नकद अथवा चेक द्वारा स्वीकार नही की जायेगी।

3. किसी भी सर्शत निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

4. इकाई के लॉन को आधुनिक ढाबा के संचालन हेतु प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि हेतु आंवटित किया जायेगा। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष के आधार पर आगामी प्रतिवर्ष स्वीकृति धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्वि करते हुये आपसी सहमति के आधार पर आगामी दो वर्षो की लीज अवधि को बढाया जा सकेगा । इस पर अन्तिम निर्णय निगम प्रबन्ध का होगा।

5. निविदादाता को लॉन के वार्षिक किराये की धनराशि के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अधिनियम एवं अन्य नियमो, प्राविधानों के अन्तर्गत भुगतान किये जाने वाले किराये की राशि पर जी0एस0टी0 तथा तत्समय अन्य प्रचलित कर की धनराशि पृथक से फर्म द्वारा

भुगतान करनी होगी। यदि भविष्य में किसी कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य धनराशि निविदादाता से प्राप्त की जानी है तो वह भी पृथक से देय होगी।

6. पृथक–पृथक इकाईयों पर उपलब्ध लॉन/रिक्त स्थान का न्यूनतम आरक्षित किराये की धनराशि निम्न प्रकार रखा जाना प्रस्तावित हैः–

क्र0 सं0	इकाई का विवरण	न्यूनतम आरक्षित किराये की धनराशि
1	राही पर्यटक आवास गृह, तात्यागंज के वाह्य भाग स्थित लान/रिक्त स्थान के 8000 वर्गफिट क्षेत्रफल में आधुनिक ढांबा का निजी संस्था के माध्यम से लीजरेण्ट के आधार पर संचालन	800000.00
2	राही पर्यटक आवास गृह, रनिया के वाह्य भाग स्थित लान/रिक्त स्थान के 8000 वर्गफिट क्षेत्रफल में आधुनिक ढांबा का निजी संस्था के माध्यम से लीजरेण्ट के आधार पर संचालन	800000.00
3	राही पर्यटक आवास गृह, दोहरीघाट के वाह्य भाग स्थित लान/रिक्त स्थान के 8000 वर्गफिट क्षेत्रफल में आधुनिक ढांबा का निजी संस्था के माध्यम से लीजरेण्ट के आधार पर संचालन	2000000.00
4	राही पर्यटक आवास गृह, गढ़मुक्तेश्वर के वाह्य भाग स्थित लान/रिक्त स्थान के 8000 वर्गफिट क्षेत्रफल में आधुनिक ढांबा का निजी संस्था के माध्यम से लीजरेण्ट के आधार पर संचालन	1200000.00
5	राही पर्यटक आवास गृह, गोपीगंज के वाह्य भाग स्थित लान/रिक्त स्थान के 8000 वर्गफिट क्षेत्रफल में आधुनिक ढांबा का निजी संस्था के माध्यम से लीजरेण्ट के आधार पर संचालन	500000.00

7. निविदादाता को लॉन में शादी–विवाह आदि की बुकिंग प्राप्त होने पर इकाई के कक्षो को किराये पर लिये जाने की दशा में कक्षो के किराये का भुगतान पृथक से करना होगा ।

8. निविदादाता को लॉन आवंटित हो जाने की दशा में आधुनिक ढाबें का अस्थाई निर्माण एवं आने वाले अतिथियें/पर्यटको को सुलभ प्रसाधन (पुरूष–स्त्री प्रसाधन) की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।

9. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है।

10. इकाई परिसर/स्थल में निविदादाता द्वारा पहुॅचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति के सापेक्ष क्षतिपूर्ति, हर्जाने का भुगतान धरोहर धनराशि से वसूलने हेतु निगम प्रबन्ध स्वतंत्र होगा।

11. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को आदेश प्राप्त होने की तिथि के उपरान्त सम्बन्धित इकाई में तीन माह का अग्रिम किराया एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। उसके बाद शेष नौ माह का किराया तीन–तीन माह की तीन किस्तो में अग्रिम के रूप में जमा करना होगा। किस्तो की धनराशि अग्रिम के रूप में समय से जमा न करने की स्थिति में स्वीकृत निविदा को निरस्त करने एवं समस्त जमा धनराशि को जब्त किये जाने पर विचार किया जायेगा तथा बकाये धनराशि की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज एवं विलम्ब शुल्क के साथ वसूल करने का अधिकार निगम प्रबन्ध का होगा।

12. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे निविदा स्वीकृत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से निगम के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की दशा में स्वीकृत निविदा को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जब्त करने का अधिकार निगम प्रबन्ध को होगा।

13. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् लॉन/परिसर में ढाबें का संचालन निविदादाता द्वारा स्वयं अपने कर्मचारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। कर्मचारियों का नाम व पता की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से इकाई प्रबन्धक को दी जायेगी। निविदादाता का दायित्व होगा कि समस्त कर्मचारी मृदु व्यवहार करने वाले हों, यदि इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना भी इकाई प्रबन्धक को दी जायेगी। परिसर में किसी भी दशा में किसी अनाधिकृत व्यक्ति से कार्य नही कराया जायेगा।

14. लॉन के व्यवस्थित संचालन हेतु निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त हेतु आवश्यक साफ–सफाई, जल निकासी/प्रबन्धन आदि की व्यवस्थायें यथा–विद्युत/जेनरेटर, स्टाफ आदि पर होने वाले व्ययों को निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

15. यदि भविष्य में किसी न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई अग्रेतर आदेश/निर्देश पारित किये जाते है, जिससे उक्त इकाई प्रभावित हो, तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय/शासन का अनुपालन ठेकेदार को करना होगा ।

16. नियम एवं शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी को आर्बीट्रेशन हेतु विवाद भेजा जायेगा तथा प्रबन्ध निदेशक/उनके द्वारा नामित अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।

17. निविदादाता किसी भी दशा में स्थल पर ढाबे संचालन के अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/सबलेंट नही करेगा। ऐसा करने की दशा में अनुबन्ध निरस्त करते हुये समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

18. लॉन में ढाबे के संचालन के सम्बन्ध में नियमानुसार लाईसेंस/पंजीकरण आदि ठेकेदार को स्वंय के व्ययो पर करने का दायित्व होगा तथा नियमानुसार समस्त सम्बन्धित कर का भुगतान सम्बन्धित विभाग को समय से निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

19. लॉन/परिसर मे ढाबें के संचालन, रख–रखाव, कार्यक्रम संचालन हेतु ठेकेदार द्वारा योजित कर्मचारी पूर्णतया ठेकेदार के कर्मचारी होगे, उन्हें समुचित यूनीफार्म, पहचान पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।

20. ठेकेदार द्वारा योजित समस्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में उन पर तथा ठेकेदार पर लागू समस्त श्रम अधिनियम जैसे न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा का समय से भुगतान एवं प्रोहिबेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कर्मचारी प्रतिकर (Employees Compensation) आदि अधिनियमों का अनुपालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

21. निविदादाता द्वारा स्थल का प्रयोग पर्यटन/होटल सम्बन्धी गतिविधियों यथा विवाह–पार्टी, एंगेजमेन्ट पार्टी, बर्थ–डे पार्टी, किटी पार्टी आदि के लिये ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पार्टी आदि की बुकिंग के सम्बन्ध में ठेकेदार को पूर्व में इकाई प्रबन्धक अथवा निगम प्रबन्ध से अनुमति प्राप्त करनी होगी। लॉनो का प्रयोग किन्हीं असवैधानिक/अनैतिक गतिविधियों का संचालन/संरक्षण के लिए कदापि नही किया जायेगा तथा अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर समुचित नियंत्रण रखा जायेगा।

22. अनुबन्ध की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर अथवा निविदा की नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत अनुबन्ध निरस्त कर दिये जाने पर निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह इकाई स्थल/लॉन का शांतिपूर्ण कब्जा निगम द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्दर हस्तगत करने को बाध्य होगा। ऐसा न करने की दशा में निगम प्रबन्ध को स्वतंत्रत होगा कि वह विधि सम्मत द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार इकाई स्थल का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।

23. यदि निविदादाता पर किसी प्रकार का बकाया रह जाता है तो उसकी वसूली भू–राजस्व वसूली नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय भार होगा उसे निविदादाता को वहन करना होगा।

24. निविदादाता को उपरोक्त समस्त नियम/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक नियम एवं शर्तो का निविदादाता द्वारा उल्लघंन किये जाने पर अथवा प्रासंगिक किसी कानून का उल्लघंन किये जाने पर अथवा शासकीय तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अनुपालन न किये जाने पर अथवा संतोषजनक सेवा व व्यवस्था प्रदान न करने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा ऐसी दशा में निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा देय नही होगा।

25. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

टेक्निकल बिड के बिन्दु

टेक्निकल बिड के साथ निविदादाता को निविदा की प्रशासनिक शर्ते हस्ताक्षर एवं फर्म की सील सहित निम्न प्रकार संलग्न किया जायेगा

1.	**फर्म का नाम एवं पता**		
2..	**तकनीकी योग्यता की अर्हता**	**अर्हता पूर्ण/अपूर्ण**	**यदि हॉ तो क्या प्रमाण–पत्र संलग्न है?**
3	जी0एस0टी0 पंजीकरण नम्बर/छायाप्रति		
4	पैन कार्ड नम्बर/छायाप्रति		
5	निविदा के साथ धरोहर राशि रू0–02..00 (रू0– दो लाख मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण/छायाप्रति।		
6	फूड लाईसेन्स छायाप्रति (यदि कोई हो तो)		
7	अनुभव प्रमाण पत्र छायाप्रति		
8	निविदा के साथ रू0–20.00 लाख (रूपया बीस लाख) की धनराशि का हैसियत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति		